रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 1975/आषाढ़ 30, 1897

No. 205] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 1975/ASADHA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July 1975

G.S.R. 420(E).—In pursuance of Section 5 of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Act, 1969 (43 of 1969) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Education and Youth Services No. G.S.R. 1258 dated the 17th July, 1970, the Central Government hereby notifies that the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Board, established under Section 4 of the said Act, shall consist of the following persons, namely:—

Chairman

(a) the Governor of Bihar—ex-officio;

Members

(b) the Accountant General, Bihar—ex-officio;

(c) Shri Hashim Hassan, 54, Dilkusha Street, Calcutta-17. Nominated under clause (c) of sub-section (1) of section 5.

(*d*) *Four Nominees of the Central Government Under Clause* (*d*) *of Sub-Section* (1)*of Section* 5

(i) Prof. S.H. Askari, Mohalla Khan Mirza, Patna.

(ii) Prof. Khurshidul Islam, Head of the Department of Urdu, Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.).

(iii) Dr. Satya Prakash, Director, Salar Jung Museum, Hyderabad (A.P.).

(iv) Deputy Secretary to the Government of India, Department of Culture, New Delhi dealing with the matters connected with the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna.

Four Nominees of the Government of Bihar Under Clause (d) of Sub-Section (1) of Section 5

(v) Education Commissioner-cum Secretary to the Government of Bihar, Education Department, Patna.

(vi) Director, Institute of Post-graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning, Patna.

(vii) Shri Qazi Abdul Wadood, Bar-at-Law, Bhanwar Pokhar, Patna.

(viii) Commissioner, Patna Division, Patna.

(ix) The Director, Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna. — ex-officio, Member-Secretary.

[No. F. 9-8/75-CAI(2)].

H. S. JASSAL, Under Secy.

(संस्कृति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 420(अ).—खुदाबक्श ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1969 (1969 का 43) के खण्ड 5 के अनुसरण में और भूतपूर्व शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं० जी० एस० आर०—दिनांक 1-7-1970 के अतिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के खण्ड 4 के अंतर्गत स्थापित खुदाबक्श ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

(क) बिहार के राज्यपाल . . . . . पदेन

सदस्य

(ख) महालेखाकार, बिहार . . . . . पदेन

(ग) श्री हशीम हसन 54, दिलकुश स्ट्रीट, कलकत्ता—17 . . . . खण्ड 5 के उपखण्ड (i) की धारा (ग) के अधीन नामजद

(घ) **खण्ड 5 के उपखण्ड (i) की धारा (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद 4 व्यक्ति**

(i) प्रो० सैयद हसन असकरी, मोहल्ला खान मिर्जा, पटना —6

(ii) प्रो० खुरशीदुल इस्लाम, अध्यक्ष, उर्दू विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

(iii) डा० सत्य प्रकाश, निदेशक, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

(iv) उप-सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली, खुदाबक्श ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करने वाले।

खण्ड 5 के उपखण्ड (i) की धारा (घ) के अधीन बिहार सरकार द्वारा नामजद 4 व्यक्ति

(v) शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, पटना ।

(vi) निदेशक, अरबी तथा फारसी शिक्षा में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, पटना ।

(vii) काज़ी अब्दुल वादूद, बार-एट-ला, भंवर पोखर, पटना–4 ।

(viii) आयुक्त, पटना प्रभाग, पटना ।

(ix) निदेशक, खुदाबक्श ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना । पदेन सदस्य सचिव ।

[सं० एफ० 9-8/75-सी०ए०-1(2)]

एच० एस० जस्सल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975